৭

संख्या- 231 /2025/आर0एफ0-1936 /नौ-9-2025/ 020-ई-1869482

प्रेषक,

**संजय कुमार तिवारी,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**अधिशासी अधिकारी,**
नगर पंचायत अमीनगर सराय,
जनपद-बागपत।

**नगर विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक** 20 **नवम्बर, 2025**

**विषयः-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

**महोदय,**

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-92/2025/ आर0एफ0-384/लौ-9-2025/004-ई-1905030, दिनांक-19.03.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्यों हेतु नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद-बागपत को कुल धनराशि रू0 100.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि रू0 50.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-बागपत द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-बागपत की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (ब्याज रहित ऋण), अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद-बागपत को **द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की **अनुदान संख्या-83,** के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-**03-नगर पंचायतें-30-निवेश/ऋण"** के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग **दिनांक-31 मार्च, 2026 तक** करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-92/2025/ आर0एफ0-384/लौ-9-2025/004-ई-1905030, दिनांक-19.03.2025 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तदोपरांत द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

**3.** इस संबंध में होने वाला व्यय **धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083** लेखा शीर्षक **6215027890403** नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

**4.** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**(संजय कुमार तिवारी)**
**अनु सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**संख्या-231 /2025/आर0एफ0-1936(1)/नौ-9-2025/ 020-ई-1869482, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बागपत।
6. कोषाधिकारी, जनपद-बागपत।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

**आज्ञा से,**

**(संजय कुमार तिवारी)**
**अनु सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

# **Allotment Grid Report**

**वित्तीय वर्ष:-2025-2026**
**आवंटन दिनांक-20/11/2025**

**प्रेषण संख्या:-** 231
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-231-2025-RF-1936-9-9-2025-020-E-1869482
**अनुदान संख्या:-** 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 30-निवेश/ऋण | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>10000000 | 5000000<br>10000000 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>10000000 | 5000000<br>10000000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(कल्याण बनर्जी)
**विशेष सचिव**